कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 20/06//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्य़ाःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 19.06.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0स0 249/24 धारा 363,366,376 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16.06.2024 को कांशीराम आवास थाना कोतवाली क्षेत्र में अभियुक्त अली अब्बास पुत्र मु0 नइम कांशीराम आवास बडी बाग थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा पीडिता को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली, गाजीपुर पर मु0अ0सं0 249/2024 धारा 363,366 भादवि बनाम अली अब्बास उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचना से उक्त अभियोग में धारा 376 भादवि की बढोत्तरी हुई। अभि0 अली अब्बास पुत्र मु0 नइम नि0 काशीराम आवास बडी बाग थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को दिनांक 19.06.2024 को लंका बस स्टैण्ड से समय 07.00 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता

अभि0 अली अब्बास पुत्र मु0 नइम निवासी काशीराम आवास बडी बाग थाना कोतवाली ,गाजीपुर उम्र 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 249/24 धारा 363,366,376 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर

02- थाना नोनहरा पुलिस द्वारा 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 उ0नि0 विरेन्द्र राय मय हमराह द्वारा अटवा मोड़ से अभियुक्त विनोद ठाकुर पुत्र स्व0 रामधनी ठाकुर निवासी ग्राम जानपुर थाना ठमिचाच जनपद कडिरमा झारखण्ड उम्र करीब 47 वर्ष को 10 लीटर नाजयाज कच्ची देशी शराब के साथ समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.विनोद ठाकुर पुत्र स्व0 रामधनी ठाकुर निवासी ग्राम जानपुर थाना ठमिचाच जनपद कडिरमा झारखण्ड उम्र करीब 47 वर्ष

अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 63/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नोनहरा गाजीपुर ।

बरामदगी

10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर